समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ सं0 26

स्थान–विकासनगर, देहरादून।		दिनांक **14.12.2024**
पीठ संख्या	:	26
वाद संख्या/प्रार्थना पत्र संख्या (वादपत्र के अनुसार)	:	मूल वाद सं0 145 वर्ष 2022
याचिकर्ता/वादी/शिकायतकर्ता	:	अब्बास हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी ग्राम ढाकी, पोस्ट सहसपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।
प्रतिवादी/प्रत्युित्तरदाता	:	जैद रफी अंसारी पुत्र मौ0 रफी अंसारी, निवासी गुरूद्वारा गली विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।
वाद की प्रकृति	:	मूल वाद
उपस्थित		
अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ	:	श्री रवि शंकर मिश्रा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ	:	सुश्री प्रतिमा

पंचाट

उपरोक्त मामला पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ के समक्ष संदर्भित/प्रस्तुत किया गया। समझौते की शर्तो के अंतर्गत निम्नलिखित पंचाट पारित किया गया हैः–

पक्षकारों की ओर से समझौतानामा कागज सं0 19ए1 पत्रावली पर दाखिल किया गया है। अतः समझौतानामा के आधार पर उक्त वाद को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। पक्षकारों की पहचान उनके विद्वान अधिवक्तागण श्री आशीष कुमार मुल्तानी एवं श्री सुनील चौहान द्वारा की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध विलेख निरस्तीकरण हेतु संस्थित किया गया। चूंकि उभयपक्ष का आपस में समझौता हो गया है। समझौतानामा कागज सं0 19ए1 पक्षकारों को पढकर सुनाया व समझाया गया, जिसे पक्षकारों द्वारा सही व सत्य होना स्वीकार किया गया।

अतः पक्षकारों के आपसी समझौतेनामा 19ए1 के आधार पर आज यह वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाता है। तद्नुसार विक्रयपत्र दिनांक 29.01.2008 जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबंधक प्रथम विकासनगर जिला देहरादून में बही नं0–01 जिल्द 1080 के पृष्ठ 735 से 748 पर क्रम सं0 364 पर अंकित है, को शून्य घोषित किया जाता है।

इस आशय की एक प्रति उपनिबंधक कार्यालय (प्रथम) विकासनगर, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। तद्नुसार उक्त समझौतानामा निर्णय का भाग रहेगा।

हस्ताक्षर सदस्य (कु0 प्रतिमा) अधिवक्ता विकासनगर, देहरादून।		हस्ताक्षर अध्यक्ष (रवि शंकर मिश्रा) सिविल जज (सी0डि0) विकासनगर, देहरादून